पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश
कार्यालय मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, श्रावस्ती

संख्या– 233/लेखा–5/ई–निविदा/2021–22 दिनांक : 03 जुलाई, 2021

भूसा आपूर्ति हेतु नवीन अल्पकालीन ई–निविदा आमंत्रण सूचना

ई–निविदा के माध्यम से भूसा आपूर्ति करने वाली एजेन्सियों से ई–निविदा आमंत्रित की जा रही है। निविदादाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे निविदा प्रपत्र का भली–भाँति अध्ययन कर लें। इस निविदा प्रपत्र के सापेक्ष ई–बिड प्रस्तुत करने पर यह माना जाएगा कि निविदादाता द्वारा निविदा में उल्लिखित प्रक्रियाओं, नियमों एवं शर्तों का अध्ययन कर लिया गया है। निविदा प्रपत्र की लागत रु० 200.00 (नॉनरिफन्डेबल) का डिमाण्ड ड्राफ्ट और एक ई०एम०डी० रु० 10,000.00 एफ०डी०आर० के रूप में मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से बनवाकर जमा करने की तारीख एवं समय से पहले कार्यालय में जमा किया जाना है। निविदा प्रपत्र एवं नियम व शर्तें ई–निविदा पोर्टल http://etender.up.nic.in पर एवं विभागीय वेबसाइट http://animalhusb.up.nic.in पर उपलब्ध है। इच्छुक बोलीदाता ई–निविदा प्रपत्र उक्त दोनों पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं एवं नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तारीख व समय तक अपनी ई–बिड ऑनलाइन ई–निविदा पोर्टल पर जमा कर सकते हैं निविदा के नियम व शर्ते दी गई विभागीय/प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

ई–बिड सन्दर्भ संख्या	उपरोक्तानुसार पत्रांक एवं दिनांक
उद्देश्य	भूसा आपूर्ति हेतु
ई–निविदा सूचना और ई–निविदा प्रपत्र के प्रकाशन की तिथि	09-07-2021 http://etender.up.nic.in http://animalhusb.up.nic.in
ई–निविदा प्रस्तुत करने की शुरुआती तिथि	09-07-2021 (12:00 बजे सायं)
ई–निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	23-07-2021 (12:00 बजे अपरान्ह तक)
तकनीकी ई–बिड का खोले जाने की तिथि	24-07-2021 (01:00 बजे अपरान्ह)
ई–निविदा खोलने का स्थान	अपर जिलाधिकारी कक्ष, श्रावस्ती
पत्राचार के ई–मेल	cvoshravasti@gmail.com
पत्राचार के सम्पर्क नम्बर	9412567472
विभागीय वेबसाइट	http://animalhusb.up.nic.in

(डॉ० जयइन्द्र सिंह)
मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
श्रावस्ती।

अति अल्पकालीन ई–निविदा हेतु निर्धारित शर्तें

1. ई–निविदा अपर जिलाधिकारी, श्रावस्ती के कक्ष में दिनांक 24–07–2021 को अपरान्ह 01:00 बजे समिति के समक्ष खोला जाएगा। उक्त निविदा दिनांक 23–07–2021 को अपरान्ह 12 बजे तक ऑनलाइन लोड की जा सकती है।
2. निविदादाता द्वारा निविदा आवेदन पत्र के साथ रु० 10,000.00 (रुपये दस हजार रुपये मात्र) की धरोहर धनराशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से संलग्न कर जमा की जानी अनिवार्य होगी। बैंक ड्राफ्ट मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, श्रावस्ती के पक्ष में होगा। बिना धरोहर धनराशि के आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त माना जाएगा।
3. स्वीकृत निविदादाता को चिन्हित बाढ़ चौकियों पर भूसे की आपूर्ति एवं निविदा समिति की संस्तुति पर जिलाधिकारी, श्रावस्ती द्वारा स्वीकृत किए गये मूल्य पर निर्देशित स्थान, समय एवं मात्रा के अनुरूप आपूर्ति किया जाना अनिवार्य है।
4. स्वीकृत निविदादाता द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले भूसे की आपूर्ति की जाएगी तथा आपूर्ति किए जाने वाले भूसे का एक किलो का पैकेट निविदा प्राप्त करते समय जमा किया जाएगा। भूसे के पैकेट पर निविदादाता द्वारा अपना नाम, पता एवं मोबाइल नम्बर स्वयं अंकित किया जाएगा।
5. स्वीकृत निविदादाता द्वारा 02 दिवस के अन्दर मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, श्रावस्ती के समक्ष अनुबन्ध किया जाना अनिवार्य होगा। यदि निर्धारित अवधि के अन्दर अनुबन्ध नहीं किया जाता है तो समिति को यह अधिकार होगा कि वह तत्काल स्वीकृत निविदा को निरस्त कर दूसरी वरीयता क्रम के निविदादाता को आमंत्रित कर लें।
6. यदि स्वीकृत निविदादाता द्वारा इन शर्तों तथा अनुबन्ध–पत्र की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो निविदा समिति को यह अधिकार होगा कि वह रु० 10,000.00 (दस हजार रुपये मात्र) की धरोहर धनराशि को जब्त कर ले।
7. निविदा समिति को बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा या सम्पूर्ण टेण्डर प्रक्रिया को संशोधित/स्थगित/निरस्त करने का अधिकार होगा।
8. स्वीकृत निविदादाता का आपूर्ति किए जाने वाले भूसे की वास्तविक मात्रा एवं स्थान के सम्बन्ध में यथासमय सूचित किया जाएगा।
9. निविदा स्वीकृत की दशा में प्रतिभूति की धनराशि रु० 10,000.00 (दस हजार रुपये मात्र) देय होगी।
10. निविदादाता द्वारा निविदा फार्म पर अपना पैन नम्बर अंकित किया जाएगा तथा छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
11. असफल निविदादाताओं का अर्नेस्ट का ड्राफ्ट वापस कर दिया जाएगा एवं स्वीकृत निविदादाता की सिक्योरिटी मनी जमा रहेगी।

12. निविदा स्वीकृति के तिथि के बाद किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर माल आपूर्ति आदेश जारी किए जा सकते हैं। आदेश जारी किए जाने पर आपूर्ति न कर पाने की स्थिति में निविदा निरस्त करते हुए अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जाएगी।
13. फर्म रजिस्टर्ड होना चाहिए एवं जी०एस०टी० रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
14. माल की आपूर्ति और माप दिए गये निर्देशानुसार उसी स्थल पर किया जाना है जहाँ बाढ़ के समय भूसे की आवश्यकता होगी। उस समय माल तौल कर रखने तक की जिम्मेदारी फर्म की होगी। माल उतारने के बाद बीजक सम्बन्धित अधिकारी से सत्यापित करवाकर कार्यालय मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, श्रावस्ती में जमा किया जाएगा।
15. निविदा दो लिफाफे में 1. टेक्निकल बिड 2. फाईनेन्सियल बिड के रूप में (हार्ड कॉपी में) अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में भी उपलब्ध करवाया जाना अनिवार्य है।

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
श्रावस्ती।

वित्तीय बिड

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, श्रावस्ती

(भूसा आपूर्ति वर्ष 2021–22)

क्र०सं०	विवरण	बिडर द्वारा भरा जाएगा	
1	फर्म का नाम, पता व दर प्रति क्विंटल		
2	फर्म द्वारा जो चार्जेज लिए जाने हैं, सबको अलग–अलग दर्शाते हुए विवरण	SGST	
		CGST	
		I Tax	
		अन्य टैक्स जो सरकार द्वारा निर्धारित है	

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त अंकित की गई सूचनाएं व संलग्न प्रपत्र सही है। यदि किसी भी समय कोई भी कथन असत्य पाया जाए तो राजकीय नियमानुसार कार्यवाही किए जाने हेतु मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

दिनांक :

सील :

पता :

मो०नं० :

तकनीकी बिड

(भूसा आपूर्ति हेतु)

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, श्रावस्ती

वर्ष : 2021–22

क्र०सं०	निविदादाता से वांछित प्रपत्र	निविदादाता द्वारा जमा किए जाने के आधार पर भरा जाए	विवरण
1	निविदादाता के फर्म का नाम, दूरभाष संख्या एवं पता		
2	नॉन जुडीशियल स्टैम्प रु० 100.00 पर शर्तें मानने का शपथ–पत्र		
3	वाणिज्य करने का रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र, जी०एस०टी०, आई० टैक्स व पैन नम्बर		
4	टेण्डर क्रय के रूप में जमा की गई धनराशि का ड्राफ्ट संख्या		
5	जमानत धनराशि जमा करने की छायाप्रति		
6	फर्म रजिस्ट्रेशन का प्रमाण–पत्र व बायलॉज		

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त अंकित की गई सूचनाएं व संलग्न प्रपत्र सही है। यदि किसी भी समय कोई भी कथन असत्य पाया जाए तो राजकीय नियमानुसार कार्यवाही किए जाने हेतु मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

दिनांक :

सील :

पता :

मो०नं० :